

थाना इस्लामनगर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 29.08.2023 को वादिया मीना पत्नी सेवाराम निवासी ग्राम लश्करपुर ओईया थाना इस्लामनगर जिला बदायँ ने लिखित प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि उसकी नावालिंग लडकी के साथ प्रतिवादी 1. वारिस पुत्र अहसान 2. अहमद पुत्र अली हसन निवासीगण ग्राम लश्करपुर ओईया थाना इस्लामनगर जिला बदायँ के द्वारा छेडछाड करना व विरोध करने पर मारपीट कर गाली गलोच करना व जान से मारने की धमकी देना के सम्बन्ध में दी। इस सूचना पर थाना इस्लामनगर पर तत्काल मु0अ0सं0 269/2022 धारा 354/323/504/506 भा.दं.सं. व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना इस्लामनगर जनपद बदायँ पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना सम्पादित करने के क्रम में पीडिता के 164 सी आर पी सी के बयानो के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 363/376(डी)/323/504/506 भादवि व 5जी/6 पाक्सो की बडोतरी की गयी। इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायँ के कुशल निर्देशन में एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बदायँ के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी बिल्सी बदायँ के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक इस्लामनगर द्वारा टीम गठित करते हुये द्वारा मुखिबर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित 02 अभियुक्तगण 1. वारिस पुत्र अहसान 2. अहमद पुत्र अली हसन निवासीगण ग्राम लश्करपुर ओईया थाना इस्लामनगर जिला बदायँ को आज दिनांक 02.09.2023 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायँ।